

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 09.04.2025

संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक-विद्यालय (Lecturer-School) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अन्तर्गत सामान्य व्याकरण विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र-प्रथम एवं प्रश्न पत्र-द्वितीय की लिखित परीक्षा (Objective Type) क्रमशः दिनांक 17.11.2024 एवं 20.11.2024 को आयोजित की गई।

उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है:-

रोल नम्बर

2148616	2150252	2152193	2162449	2162801	2166045
2169338	2169598	2172749	2174031	2177340	2192783
2192859	2198889	2199749	2202463	2204708	2205095
2206787	2207871	2210009	2210021	2211130	2215664
2216097	2219444	2244097	2244480	2244858	2251935
2253724	2256114				

TOTAL CANDIDATES:- 32

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किये गये सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से **recruitment portal** पर **My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now** का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक **17.04.2025** से दिनांक **23.04.2025** (रात्रि 11:59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा

दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS
Gen. (UR)	GEN.	285.51
	WD	52.83
S.T.	GEN.	202.00
	GEN. WE	194.51
O.B.C.	GEN.	266.08
	GEN. WE	258.10
E.W.S.	GEN.	249.29

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY		CUT OFF MARKS
PH	(a) I.D.,M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul. Dis.	N.A.

नोट:-

आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 25.01.2024 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले 13 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है-

2143094 2146504 2146963 2147094 2151422 2167373
2173344 2201882 2203279 2210318 2211670 2219295
2219832

(रामनिवास मेहता)
सचिव